"नीलामी सूचना"

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ) द्वारा मौहल्ला बूढ़ा बाबू रोड निकट शहीद द्वार के पास पालिका की मौके पर खाली पड़ी भूमि खसरा संख्या 2390 मि0 पर प्रीमीयम धनराशि लेते हुए भूमि पर दुकानों के निर्माण हेतु पालिका में तैयार किये गये ले–आउट अनुसार निर्माण कराकर वर्तमान में ले–आउट अनुसार पिलिंथ लेवल पर दुकानों को किराये पर देना चाहती है, जिस हेतु दिनांक 18.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे से पालिका कार्यालय में नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। उक्त नीलामी में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक व्यक्ति द्वारा पालिका कार्यालय में दिनांक 30.08.2024 से दिनांक 17.09.2024 तक कार्यालय समयानुसार पंजीकरण निम्न विवरणानुसार पंजीकरण शुल्क व धरोहर धनराशि जमा कराकर नीलामी प्रकिया में भाग ले सकता है।

क्र0 सं0	दुकान व खाली पड़ी भूमि का विवरण	आरक्षित दुकानों का विवरण	पंजीकरण शुल्क + 18 प्रतिशत जीएसटी प्रत्येक के लिये	निर्धारित मासिक किराया	न्यूनतम प्रीमियम धनराशि	अग्रिम धरोहर धनराशि (नकद / डी0डी0)	अभ्युक्ति
1	2		3	4	5	6	9
1	**15 दुकान की भूमि (साईज़ 9×15)**	अनुसूचित जाति हेतु 03 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 04 **(ले–आउट अनुसार दुकानों का आरक्षण)**	2000+360=2360 प्रत्येक दुकान के लिए	5000+जीएसटी एज़ एप्लिकेबिल प्रत्येक दुकान के लिए	8,52,270 रू0 प्रत्येक दुकान के निर्माण उपरान्त ले–आउट अनुसार प्रीमीयम धनराशि	4,30,000	पालिका द्वारा भू–तल पर दुकान निर्मित की जायेगी दुकान की छत पालिका के प्रयोग हेतु रहेगी
2	**1 दुकान की भूमि (साईज़ 15×15)**	अनारक्षित	2000+360=2360	8000+जीएसटी एज़ एप्लिकेबिल	14,21,200 रू0 दुकान के निर्माण उपरान्त ले–आउट अनुसार प्रीमीयम धनराशि	7,50,000	

1. उक्त खाली पड़ी भूमि पर पालिका के ले–आउट अनुसार दुकानों का निर्माण स्वयं कराया जायेगा तथा निर्माण उपरान्त पजेशन देने के बाद से ही किराया प्रारम्भ किया जायेगा।
2. उक्त दुकानों में आवेदन हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. नगर पालिका परिषद, सरधना की उक्त दुकानो हेतु प्रतिभाग करने वाले **प्रत्येक व्यक्ति को नगर पालिका परिषद सरधना के कार्यालय से संबंधित पर यदि पालिका का ग्रहकर, जलकर, जलमूल्य आदि बकाया है, तो उसे जमा कराते हुए पालिका से जमा का प्रमाण पत्र व आई0डी0 प्रूफ स्वयं हस्ताक्षरित करते हुए पंजीकरण अवधि दिनांक 30.08.2024 से दिनांक 17.09.2024 तक पालिका कार्यालय समयानुसार पंजीकरण फार्म प्राप्त करते हुए पंजीकरण फार्म में उल्लिखित शर्तो व अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिनांक 18.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे होने वाली उक्त नीलामी प्रकिया में भाग ले सकते है।**
4. **उक्त भूमि/दुकानों के आवंटन प्रकिया में व्यक्तिगत रूप से ही आवेदनकर्ता भाग लेने हेतु अर्ह होगा। व्यक्तिगत रूप से ही आवेदनकर्ता को वांछित धरोहर जमा करनी होगी।**
5. उक्त दुकानों के आवंटन में एक परिवार में एक व्यक्ति केवल एक दुकान के लिए आवेदन कर सकता है। इस हेतु इस आशय का 10 रू0 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र कि मेरे परिवार में एक व्यक्ति द्वारा एक दुकान के लिए ही आवेदन किया गया है, यदि इससे अधिक मेरे परिवार द्वारा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पाया जाता है, तो मेरी धरोहर धनराशि जब्त करने व पालिका को मेरे विरूद्ध कार्यवाही करन में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी **(उक्त शपथपत्र पंजीकरण फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा)।**
   नोट :– परिवार की परिभाषा विधि द्वारा स्थापित नियमों के अन्तर्गत होगी,जिसकी छायाप्रति पालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।
6. **अधिकतम बोलीदाता द्वारा प्रीमीयम की धनराशि जमा कराने के बाद ही अन्य न्यूनतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि अन्य कार्यवाही पूर्ण होने के आगामी एक सप्ताह के बाद बिना ब्याज व क्षतिपूर्ति आदि के वापसी की जायेगी अर्थात जमा धरोहर की धनराशि ही वापसी होगी इस हेतु किसी का भी आवेदक का कोई आवेदन/अनुरोध प्रार्थना पत्र पृथक से स्वीकार नही होगा।**
7. नीलामी की दिनांक को यदि कोई आकस्मिक अवकाश या पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों की कोई बैठक आदि आहूत होती है या अन्य किसी अकस्मात परिस्थिति में अवकाश आदि रहता है, तो नीलामी की कार्यवाही आगामी कार्य दिवस में होगी।
8. **नीलामी की दिनांक को बोलीदाता की उपस्थिति अनिवार्य होगी,** यदि बोलीदाता बोली की दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं हो पाता है तो बोलीदाता का कोई कथन/अनुरोध अथवा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।
9. **अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकृत होने के बाद स्वीकृत निविदाता को पालिका द्वारा प्रेषित स्वीकृति सूचना प्रेषण के 15 दिन के अन्दर–अन्दर प्रीमीयम धनराशि की सम्पूर्ण धनराशि (जमा धरोहर धनराशि को छोडकर) नगर पालिका के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा सरधना में जमा करनी होगी, जिसकी लिखित सूचना व जमा रसीद की छायाप्रति पालिका कार्यालय में उक्त अवधि में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी, अधिकतम निविदादाता की सम्पूर्ण प्रीमीयम धनराशि उपरोक्तानुसार जमा कराने व पालिका कार्यालय में सूचना प्रेषण करने के बाद जमा धरोहर धनराशि की वापसी की कार्यवाही की जायेगी,यदि पालिका द्वारा प्रेषित स्वीकृति पत्र सूचना के 15 दिवस के अन्दर–अन्दर अधिकतम बोलीदाता प्रीमीयम की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसकी जमा धरोहर जब्त करते हुए पुनः आवंटन की प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी,जिसमें संबंधित का कोई भी अनुरोध /लिखित प्रार्थना पत्र /दावा स्वीकार योग्य नही होगा ।**
10. बोलीदाता को निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अपने व्यय से किरायानामा सम्पादित कराना अनिवार्य होगा।
11. **बोलीदाता की स्वीकृत बोली की दिनांक से अपने खर्चे पर प्रत्येक 5 वर्ष बाद किरायानामा नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, प्रत्येक 5 वर्ष बाद तत्समय के किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी, ऐसा न करने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए संबंधित का आवंटन निरस्त करते हुए उक्त दुकान के पुनः आवंटन की प्रकिया की जायेगी ।**
12. निर्मित दुकान आवंटन उपरान्त आवंटित किरायेदार द्वारा दुकान की नियमित रूप से रंगाई–पुताई स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी ।
13. निर्मित दुकान का किराया प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा, उसके बाद **100 रू0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क** देने के बाद ही किराया जमा होगा।

Scanned with CamScanner

14. निर्मित दुकानो की छत पर कोई भी किरायेदार किसी भी तरह का निर्माण अथवा प्रक्षेप्य पक्का टीनशेड, पन्नी, तिरपाल आदि से नहीं करेगा।
15. निर्मित की गयी दुकानो में किरायेदार किसी प्रकार का वाहय व इन्टरनल परिवर्तन पालिका की बिना पूर्व अनुमति के नही करेगा, यदि अनुमति के बिना दुकानो में परिवर्तन किरायेदार द्वारा किया जाता है तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
16. निर्मित की गयी दुकानो के रास्ते में किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा प्रक्षेप्य अवैधानिक होगा, ऐसा करने वाले किरायेदार का आवटंन निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
17. किरायेदार को नगर पालिका परिषद, राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले समस्त कर स्वयं वहन करने होगे।
18. किरायेदार द्वारा दुकानो मे बिजली व पानी का कनैक्शन किरायेदार द्वारा स्वयं अपने खर्च से लिया जायेगा, इस संबंध में नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा कोई भी व्ययभार नही दिया जायेगा ।
19. निर्मित की गयी दुकानो में मादक पदार्थ एवं मॉस तथा शराब आदि का व्यापार खोलने की अनुमति नही दी जायेगी, प्रकिया में प्रतिभाग करने से पहले आवेदन पत्र में दुकान में किये जाने वाले व्यवसाय का उल्लेख करना अनिवार्य है, उक्त उल्लिखित व्यवसाय को नगर पालिका परिषद सरधना की अनुमति के बगैर परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
20. निर्मित की गयी दुकानो के आवंटन उपरान्त पालिका दुकानों को अपने प्रयोग हेतु दृष्टिगत रखते हुए किसी भी समय एक माह के नोटिस पर संबंधित का आवंटन निरस्त कर खाली करा सकती है। पालिका अपनी आवश्यकता अनुसार यदि दुकान खाली कराती है, तो संबंधित का प्रीमीयम बिना ब्याज के देय होगा, जिसमें संबंधित का कोई भी आवेदन/अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का होगा।
22. बोली/नीलामी की कार्यवाही को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार भी अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।
23. दो रास्तों की दुकान पर निर्धारित प्रीमियम से 10 प्रतिशत प्रीमियम अधिक होगा अर्थात निर्धारित प्रीमियम अंकन 8,52,270 रू0 के स्थान पर अंकन 9,37,497 रू0 तथा अंकन 14,21,200 रू0 के स्थान पर अंकन 15,63,320 रू0 होगी।

नोटः— (1)दुकानों के ले–आउट/नीलामी से संबंधित विवरण की जानकारी किसी भी पालिका कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(2) उक्त भूमि पर दुकानों के निर्माण से संबंधित जानकारी हेतु पालिका के कर्मचारी श्री मनोज कुमार, लिपिक जिनका दूरभाष संख्या 8630768775 व श्री मुनीश कुमार जिनका दूरभाष संख्या 9837634845 व है से ली जा सकती है।

28/08/24

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

पत्रांक :– 383 दिनांक :– 28/8/24

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी (स्थानीय निकाय) मेरठ।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, सरधना को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त नीलामी प्रकिया में अपने स्तर से तहसीलदार सरधना अथवा किसी सक्षम अधिकारी को बोली के समय उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त सदस्यगण, नगर पालिका परिषद सरधना को इस आशय से कि उक्त नीलामी के समय उपस्थित होने का कष्ट करें।
5. सम्पादक **दैनिक जागरण व अमर उजाला,** समाचार पत्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त को न्यूनतम स्थान में एक बार प्रकाशन कर बिल समाचार पत्र की 5 प्रतियों के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6. नोटिस बोर्ड तहसील/नगर पालिका परिषद/गन्ना समिति/मंडी समिति सरधना पर चस्पा हेतु।
7. प्रबंधक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक सरधना।
8. श्री मनोज कुमार, लिपिक व श्री मुनीश कुमार अधिकृत कर्मी को उक्त नीलामी प्रकिया की समस्त कार्यवाही हेतु अधिकृत करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नीलामी से संबंधित समस्त औपचारिकताएं व अन्य अभिलेखीय कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
9. श्री मुनीश कुमार, पालिका कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त का नगर में पालिका में अधिष्ठापित ध्वनि विस्तारक यन्त्र से नियमित रूप से निविदा की प्रकिया तक व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें व नगर के मुख्य चौराहों पर पालिका दुकानो के आवंटन सम्बन्धित तैयार ले–आउट फ्लेक्सी को लगवाना सुनिश्चित करे तथा पालिका की एलईडी स्कीन पर भी प्रदर्शित करने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. निकाय की वेबसाईट हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सरधना

Scanned with CamScanner